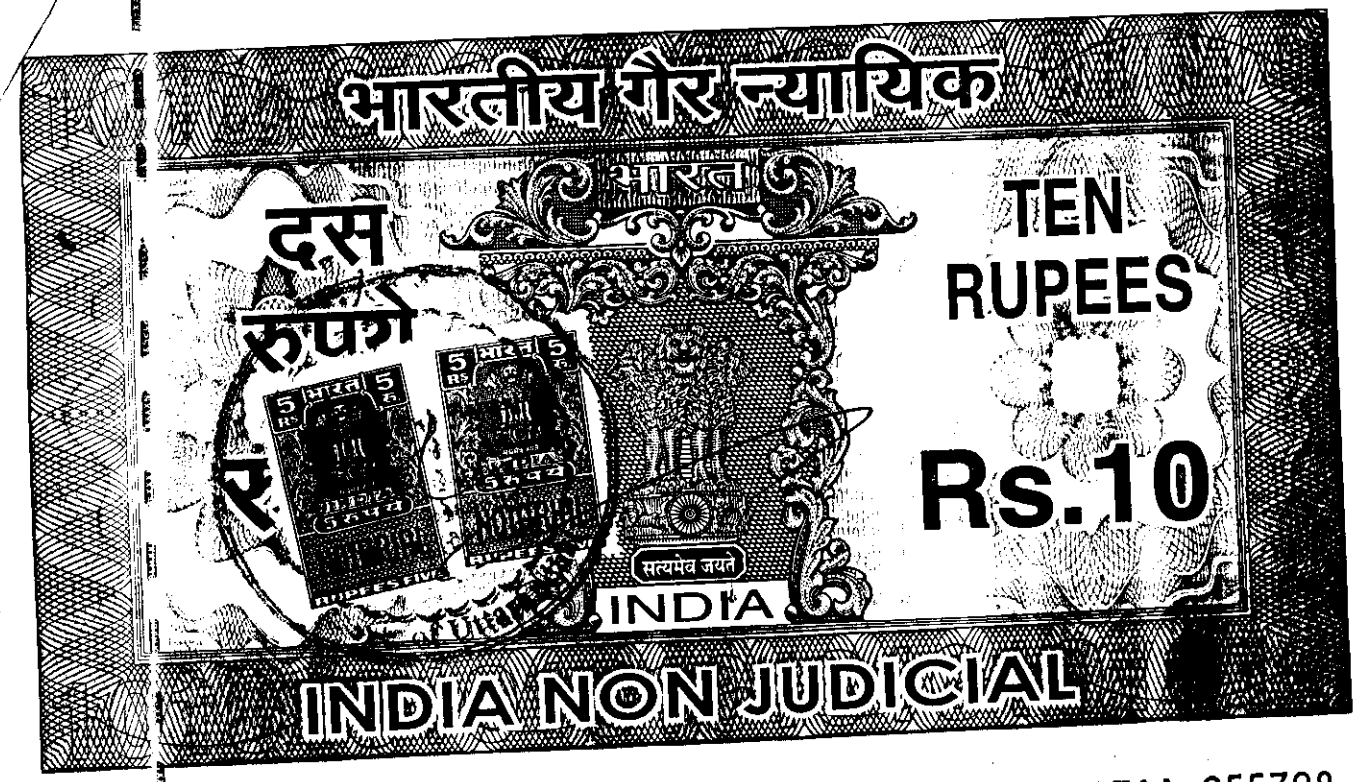

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND "प्रारूप 26" 13AA 955308

(नियम 4 का देखिए)

14-घनोल्टी निर्वाचन क्षेत्र से उत्तरखण्ड विधान सभा के लिये निर्वाचन के लिये, रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र।

शपथ–पत्र

मैं, [illegible] पुत्र श्री [illegible] आयु– 66 वर्ष, जो ग्राम– [illegible], पट्टी– [illegible], तहसील– घनोल्टी, जिला– टिहरी गढ़वाल का निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ:–

मैं ऐसे किसी लम्बित मामलें में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नही हूँ, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया है/किए गये हैं–

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

i– मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं– [illegible]

ii– पुलिस थाना– x , जिला– x राज्य– x

[illegible]

क्रमशः–2–पर

iii– सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है– लागू नहीं

iv– न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई– 11

v– तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किए गये थे– 11

vi– क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है–

2– मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951) (1951 का 43) की धारा–8 की उपधारा (1) या उप धारा (2) में निर्दिष्ट या उप धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष नही ठहराया गया हे, और वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है।
(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

i– मामला /प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं– लागू नहीं

ii– न्यायालय, जिसने दण्डित किया है– 11

iii– पुलिस थाना (थाने)– X , जिला (जिलों)– X राज्य– X

iv– सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है– लागू नहीं

v– तारीख (तारीखें) जिनको आरोप दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गये थे– 11

vi– क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गये हैं– 11

NOTARY ... Govt. of Uttaranchal

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

स्थान– नई टिहरी।
तारीख– 12-1-12

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथ पत्र के अर्न्तवस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है, और कोई तात्विक बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान नई टिहरी, दिनांक– 12-1-12 को सत्यापित किया।

ATTESTED
Anand Singh Belwal
Advocate & Notary Public
Distt. TEHRI GARHWAL
12-1-12